प्रेस नोट **पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद** **दिनांक 27.05.2024**

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा पुलिस टीम के साथ अभद्रता कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 27.05.2024 की रात्रि में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सूचना प्राप्त हुई कि महागुन मस्कट सोसायटी के गेट नं0-02 के पास एक थार गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया है, तत्काल प्राप्त सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी क्रॉसिंग रिपब्लिक को मौके पर पुलिस बल के साथ भेजा गया तो वहां पर थार गाड़ी तो खड़ी मिली परन्तु उसका चालक मौके पर नहीं था इसलिए पुलिस टीम द्वारा थार गाड़ी के चालक को तलाश किया जा रहा था एवं जनता के व्यक्तियों से घटना क्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही थी तो वही मौके पर अभियुक्त (1) सतीश पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी एफ- 56 टावर 4 जीएच-7 सोसाइटी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद (2) अक्षय अहुजा पुत्र संजय अहुजा निवासी आर 14/6 राजनगर गाजियाबाद व इनके साथ तीन-चार अज्ञात व्यक्ति आये और पुलिस टीम के साथ अभद्रता करते हुए जनता के व्यक्तियों को रोड जाम करने के लिए उकसाने लगे तो इनको समझाने का प्रयास किया गया परंतु इन दोनों अभियुक्तों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम के साथ अभद्रता, मारपीट, वर्दी फाड़कर नेम प्लेट तोड़ना व सरकारी पिस्टल छीनने का प्रयास किया गया। उक्त प्रकरण में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दोनों अभियुक्तों सतीश व अक्षय अहुजा को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

(1) सतीश पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी एफ- 56 टावर 4 जीएच-7 सोसाइटी थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष।

(2) अक्षय अहुजा पुत्र संजय अहुजा निवासी आर 14/6 राजनगर गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष।

अपराधिक इतिहास

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर पुलिस टीम के साथ अभद्रता, मारपीट, वर्दी फाड़ना व सरकारी पिस्टल छीनने का प्रयास के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना खोडा पुलिस टीम व ए.एन.टी.एफ. मेरठ पुलिस टीम द्वारा एनसीआर क्षेत्र में अवैध गांजा की सप्लाई करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 क्विंटल 02 किलो 750 ग्राम (102.750 किलो ग्राम) अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट गाड़ी बरामद।

दिनांक 27.05.2024 को थाना खोडा पुलिस टीम व ए.एन.टी.एफ. मेरठ पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि स्विफ्ट गाड़ी UP 16W 5011 जिसमे अवैध गांजा भरा हुआ है। गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जा रही है। तत्काल टीमों का गठन कर चेकिंग के दौरान उक्त गाडी सहित अभियुक्त प्रवेश कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी पैगम्बरपुर थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर उम्र 44 वर्ष को खोडा अन्डर पास इतवार पुस्ता के पास खोडा कालोनी से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 क्विंटल 02 किलो 750 ग्राम (102.750 किलो ग्राम) अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट गाड़ी बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह गांजा अलीगढ से लोकेन्द्र शर्मा निवासी त्रिमूर्ति नगर चाँदमारी अलीगढ ने यूपी गेट दिल्ली पर किसी अज्ञात व्यक्ति तक पहुँचाने के लिये दिया था। जिसके लिये मुझे 50,000/- रूपये मिलने थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

प्रवेश कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी पैगम्बरपुर थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर उम्र 44 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

- कब्जे से 01 क्विंटल 02 किलो 750 ग्राम (102.750 किलो ग्राम) अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट गाड़ी बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना खोडा पुलिस टीम व ए.एन.टी.एफ. मेरठ पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा लूट की 02 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर लुटेरे अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया तथा इनके कब्जे से लूटे गये 02 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल बरामद।

थाना मुरादनगर पर दिनांक 26.05.2024 को वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि स्पलैंडर मोटर साईकिल सवार अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके हाथ से मोबाइल फोन Realme Narzo छीन लिया गया है तथा दिनांक 26.05.2024 को ही वादी द्वारा तहरीर दी गई कि पड़ाव पैट्रोल पम्प के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्ति द्वारा झपट्टा मारकर मोबाइल फोन ओप्पो ए 18 छीन लिया गया है। उपरोक्त प्रकरणों में तत्काल थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किये गये तथा घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु टीम गठित की

गयी। तत्पश्चात दिनांक 26/27.05.2024 की रात्रि को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 02 लुटेरे अभियुक्तों 1. शिवम उम्र 19 वर्ष पुत्र अनिल कुमार निवासी रेलवे रोड उखलारसी थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद 2. फरमान उम्र 19 वर्ष पुत्र उस्मान नि0 ईदगाह बस्ती नालापार चौकी चामुण्डा कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, जिनके कब्जे से लूटे गये 02 मोबाइल फोन रियलमी नारजो, ओप्पो ए 18 व घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर रंग काला चेसिस नंबर MBLHAW224RHC97809 व स्पैलण्डर मोटरसाईकिल नम्बर UP14FC5759 बरामद की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - पूछताछ के दौरान अभियुक्त शिवम उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 25.05.2024 की रात्रि को मैं व मेरे साथ बाल अपचारी स्पलैंडर मोटर साईकिल से जा रहे थे जैसे ही हम वीनस ग्राउंड के पास पहुँचे तो मैने एक महिला के हाथ से रियलमी नारजो का मोबाईल फोन छीना था और वहा से भाग गये थे तथा अभियुक्त फरमान उपरोक्त ने बताया कि यह मोबाईल फोन कल मैंने अपने साथी अनस पुत्र युनुस नि0 ईदगाह बस्ती नालापार चौकी चामुण्डा कस्बा थाना मुरादनगर गाजियाबाद के साथ मिलकर स्पैलण्डर मोटरसाईकिल नम्बर UP14FC5759 से एक व्यक्ति से पड़ाव पैट्रोल पम्प के सामने से झपट्टा मारकर छीना था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

1- शिवम उम्र 19 वर्ष पुत्र अनिल कुमार निवासी रेलवे रोड उखलारसी थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद

2.फरमान उम्र 19 वर्ष पुत्र उस्मान नि0 ईदगाह बस्ती नालापार चौकी चामुण्डा कस्बा थाना मुरादनगर गाजियाबाद

3.बाल अपचारी (अभिरक्षा में लिया गया)

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त शिवम के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर अपहरण का 01 अभियोग व लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त फरमान के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

लूटे गये मोबाइल फोन रियलमी नारजो का IMEI 1- 867219061036412 IMEI2 - 867219061036404 व मोबाईल ओप्पो का IMEI 1- 862909068238814 IMEI2 -

862909068238806 व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल स्प्लेण्डर रंग काला चेसिस नंबर MBLHAW224RHC97809 व 01 मोटरसाईकल स्प्लेण्डर रंग काला नम्बर UP14FC5759

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर चोर व 01 सामान क्रेता (सुनार) गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद।

दिनांक 30.04.2024 को वादिया ने अज्ञात चोरों द्वारा वादिया को धोखे मे रखकर वादिया के कुण्डल ,पायल व पर्स मे रखा मोबाईल फोन व कुछ नगद रूपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर तहरीर दी। जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त 1. तमजीद पुत्र कफिल अहमद नि0 टिंकू के किराये के मकान मुगल गार्डन पीपलेड़ा थाना मसुरी गाजियाबाद को डी –ब्लाक कट शास्त्रीनगर चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त तमजीद द्वारा पूछताछ में बताया गया कि चोरी किये गये सामान को सचिन वर्मा पुत्र जुगेन्द्र वर्मा नि0 ए-264 न्यू पंचवटी थाना कोतवाली गाजियाबाद हाल दूकान मालिक जगदम्बा ज्वैलर्स गौशाला रोड थाना विजय नगर गाजियाबाद को बेच देते थे। अभियुक्त सचिन वर्मा को दूकान जगदम्बा ज्वैलर्स गऊशाला रोड थाना विजयनगर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया तथा चोरी का सामान बरामद किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि मैं व मेरे दो अन्य साथी सैफ अली व फईम इसी मोटरसाईकिल से सड़क पर पैदल चलती हुई सीधी - साधी महिलाओं को पता पूछने के बहाने से धोखाधडी करके उनके जेवरात चोरी कर लेते है तथा साहब कुछ दिन पहले भी हम तीनो लोगों ने कार्टेज चौक पर एक महिला को बहला फुसला कर धोखाधड़ी करके उससे रास्ता पूछने के बहाने कार्टेज चौक से आगे खाली पड़े मैदान की तरफ ले गये थे। जिससे हम तीनो ने धोखाधड़ी करके दोनो कानो के कुंडल व दोनो पैरो की पाजेब निकलवाकर पर्स में रखवाकर उसे धोखा देकर पर्स चोरी करके भाग गये थे। हम तीनो मोटरसाईकिल पर चलते समय हमने पर्स से कुंडल व पाजेब निकाल लिये थे और पर्स को चलते हुए सड़क के किनारे कही फैंक दिया था तथा जेवरों को सुनार सचिन वर्मा को बेच दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त सचिन वर्मा ने पूछने पर बताया कि यह कुछ दिन पहले अपने दो अन्य साथियो के साथ मेरी दूकान पर आये थे और अपनी मजबूरी बताकर एक कुण्डल सोने का वजनी करीब 1 ग्राम व एक जोड़ी चाँदी की पाजेव वजनी करीब 5 तोला बेचने की कह रहे थे। मैने कुण्डल व पाजेव चैक कर उनका वजन कर दोनो को 8,500/- रुपये में खरीद लिया था। रुपये मैने नगद इसी व्यक्ति को दे दिये थे। मैं लालच में आ गया था। मैने इन लोगो से कोई आईडी बगेरा नही ली थी और ना ही उक्त जेवर (कुण्डल व पाजेव) के सम्बन्ध में कोई प्रूफ लिया था। इस जेवर कुण्डल व पाजेव को मैं गलाने की फिराक मे था।

बरामदगीः-

- एक कुण्डल पीली धातू व एक जोडी पाजेव सफेद धातू (बरामद अभियुक्त सचिन वर्मा)

अभियुक्त का नाम पता-

1. तमजीद पुत्र कफिल अहमद नि0 टिकूं के किराये के मकान मुगल गार्डनपीपलेड़ा थाना मसुरी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष
2. सचिन वर्मा पुत्र जुगेन्द्र वर्मा नि0 ए-264 न्यू पंचवटी थाना कोतवाली गाजियाबाद हाल दूकान मालिक जगदम्बा ज्वैलर्स गौशाला रोड थाना विजय नगर गाजियाबाद (सुनार)

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम